प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 01.01.2021

दिनांक 28.12.2020 को थानाक्षेत्र सांगीपुर के सरूआ गांव के कुएं में मिले युवक के शव की घटना का सफल अनावरण,
सम्पत्ति विवाद में सगे भाई ने की थी हत्या, अभियुक्त गिरफ्तार –

दिनांक 28.12.2020 को थानाक्षेत्र सांगीपुर के ग्राम सरूआ के एक कुएं में शेष नरायण यादव पुत्र स्व0 रामकुमार यादव उम्र करीब 35 वर्ष नि0 कालिकन का पुरवा, सरूआ थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ का शव पाया गया था। इस सम्बन्ध में थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 255/20 धारा 302, 201 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग में विवेचना/कार्यवाही के दौरान मिले साक्ष्यों/तथ्यों के आधार पर मृतक के भाई राजकरन यादव उर्फ झल्लर का नाम प्रकाश में आया। प्रकाश में आये अभियुक्त राजकरन यादव उर्फ झल्लर को आज दिनांक 01.01.2021 को थाना सांगीपुर से प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र के कल्यानपुर कला मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राजकरन उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि शेष नरायण यादव (मृतक) मेरा सगा भाई था, जिससे मेरा जमीनी विवाद चल रहा था। इस सम्बन्ध में उसने मेरे विरूद्ध सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर किया था तथा आये दिन इस विवाद को लेकर उसके द्वारा मुझसे व मेरे परिवार से कहा–सुनी की जाती थी। इन सब से तंग आकर मैने डण्डे से मारकर उसकी हत्या करके शव को बोरे में भरकर गांव के कुएं में फेंक दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल डण्डा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. राजकरन यादव उर्फ झल्लर पुत्र स्व0 रामकुमार यादव नि0 कालिकन का पुरवा, सरूआ थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम– प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार मय हमराह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

डकैती के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमन्चा, कारतूस व नगदी बरामद–

जनपद के थाना मानिकपुर से प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 250/20 धारा 395, 397, 412 भादवि में वांछित अभियुक्त जितेन्द्र यादव पुत्र सीताराम यादव नि0 चिरैया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र मानिकपुर के पूरे धनऊ तिराहा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 800/– रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 31.10.2020 को मैने अपने साथियों के साथ मिलकर साहाबाद मानिकपुर में डकैती की थी, जिसमें हमे 60 हजार रू0 व कुछ जेवरात मिले थे, इसमें से मेरे हिस्से में 3,800/– रू0 आये

थे। मेरे पास से बरामद पैसे उन्ही पैसों में से बचे है। बरामद अवैध तमन्चे के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. जितेन्द्र यादव पुत्र सीताराम यादव नि0 चिरैया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण–

01. 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
02. 800/– रू0 नगद (लूट के)

पुलिस टीम– प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष कुमार यादव मय हमराह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

- जनपद के थाना मान्धाता से उ0नि0 राजेश कुमार राय मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र मान्धाता के शारदा सहायक नहर पुल के पास से मु0अ0सं0 444/20 धारा 34, 323, 506, 307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त उबैद उल्ला पुत्र शकील अहमद नि0 मदईपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

- जनपद के थाना कोतवाली नगर से उ0नि0 इन्द्रेश कुमार मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के भगवा रेलवे क्रासिंग के पास से एक व्यक्ति बीरबल राम पुत्र दौलत राम नि0 बहादुरपुर थाना बसरेहर जनपद इटवा को 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 02/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

- जनपद के थाना रानीगंज से उ0नि0 दीप नरायण यादव मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के मोहनगंज तिराहा के पास से एक व्यक्ति महाबल सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह उर्फ बंगाली नि0 सिटकहा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को 05 अदद देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 03/21 धारा 4/5 विष्फोटक अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

- जनपद के थाना संग्रामगढ़ से उ0नि0 गिरीश धर दुबे मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र संग्रामगढ़ के अर्रो नहर पुलिया के पास से एक व्यक्ति विनय सरोज पुत्र स्व0 रामसेवक सरोज नि0 अर्रो थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

- जनपद के थाना उदयपुर से उ0नि0 मुन्नीलाल मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र के ग्राम राकी मोड़ के पास से एक व्यक्ति विनोद कुमार पुत्र उदयराज नि0 पूरे उजागर थाना डीह जनपद रायबरेली को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

- जनपद के थाना जेठवारा से उ0नि0 घनश्याम सिंह मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र के बढ़नी से एक व्यक्ति सुनील कुमार सरोज पुत्र सुरेश सरोज नि0 पूरे घीसा रेडबीर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः–

- जनपद के थाना कोतवाली नगर से प्रभारी निरीक्षक श्री विपिन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0– 1027/20 धारा 363, 366, 354क, 506, 376, 120बी भादंवि व 3/4, 16/17 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता आफरीन बानो पत्नी गुड्डू उर्फ इस्तिखार नि0 चालाकपुर चौखड़ थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के मोहनगज तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 01.01.2021